# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द

मुकदमा नम्बर – 138/2023 प्रार्थना पत्र अनवान भगवान लाल बनाम राज्य

कार्यवाही विवरण

| दिनांक | | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 06.06.2025 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार राजसमंद द्वारा प्रेषित भू अभिलेख निरीक्षक राज्यावास की जांच रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को सुना गया।<br>अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी संख्या 4038 का रकबा 0.4330 हेक्टेयर है, जिसमें से आराजी संख्या 5077/4038 के उत्तर भाग से लगाते हुए आराजी 4038 के क्षेत्रफल को ऑनलाइन नक्शे में आराजी नंबर 4028 में मिला दिया है। जिसे दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी के आराजी 4038 में सम्मिलित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आई.एल.आर. राज्यावास की रिपोर्ट अनुसार भी उक्त रकबा आराजी नंबर 4038 में कम होना नक्शे में पाया जाने से उक्त रिपोर्ट अनुसार शुद्ध करवाने हेतु आदेश फरमाया जावे।<br>पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोही आराजी नंबर 4038 के सेटलमेन्ट पश्चात आराजी नंबर 4038 रकबा 0.4330 एवं 4038/1 रकबा 0.1497 हेक्टेयर बने है। सेटलमेन्ट के नक्शे अनुसार आराजी नंबर 4028 एवं 5077/4038 के मध्य एक बिना नंबर की पट्‌टी दर्शायी गई है। डिजीटाईजेशन के नक्शे में भी यही स्थिति है लेकिन भू–नक्शे में उक्त बिना खसरे नंबर वाली पट्‌टी को आराजी नंबर 4028 में शामील कर दिया गया है। तथा आराजी नंबर 4038 एवं 4038/1 को मीलाकर जमाबन्दी अनुसार 0.5827 हेक्टेयर होना चाहिये, इसके मुकाबले वर्तमान भू–नक्शा शीट अनुसार क्षेत्रफल कम है।<br>न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन की किया गया तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार सेटलमेन्ट के नक्शे में आराजी नंबर 4028 एवं 5077/4038 के मध्य एक बिना नंबर की पट्‌टी थी जिसे आनलाईन नक्शे में आराजी नंबर 4028 शामील कर दिया गया है। जिससे न्यायालय का मत है कि बिना की किसी विधिक आदेश के बिना नंबर की पट्‌टी को इस प्रकार आराजी नंबर 4028 में शामील कर दिया जाना एवं लिपिकीय त्रुटी है। जिसे सुधारा जाकर पूर्व स्थिति बहाल किया जाना न्यायोचित है। किन्तु तहसीलदार रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि आराजी नंबर 4038 एवं 4038/1 को मीलाकर जमाबन्दी अनुसार 0.5827 हेक्टेयर होना चाहिये, इसके मुकाबले वर्तमान भू–नक्शा शीट अनुसार क्षेत्रफल कम है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त बिना नंबर की पट्टी का क्षेत्रफल आराजी नंबर 4038 का भाग है जिससे उक्त पट्टी के क्षेत्रफल को ऑनलाइन नक्शे में आराजी नंबर 4038 में मिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी उक्त बिना नंबर की पट्टी के क्षेत्रफल को आराजी नंबर 4038 का भाग होना बताया गया है। जिससे न्यायालय का मत है की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट एवं तथ्यों के आधार पर आराजी नंबर 5077/4038 के उत्तर भाग में स्थित बिना नंबर की पट्टी के क्षेत्रफल को ऑनलाइन नक्शे में आराजी नंबर 4028 के बजाय 4038 मे मिलाया जाना न्यायोचित है।<br>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है सेटलमेंट नक्शे में स्थित आराजी नंबर 4028 व 5077/4038 के मध्य स्थित खाली पट्टी को वर्तमान ऑनलाइन भू–नक्शा में आराजी नंबर 4038 में शामिल किए जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार राजसमंद निर्णय अनुसार पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमंद को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो<br>(बृजेश गुप्ता R.A.S.)<br>सहायक कलक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>राजसमंद<br>सहायक कलक्टर<br>(उपखण्ड अधिकारी)<br>राजसमन्द<br>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी | |